# प्रेस विज्ञप्ति

## 1.08.2026

**यूके.एस.एस.एस.सी. परीक्षा पेपर लीक मामले में ईडी, देहरादून ने 63.30 लाख रुपये मूल्य की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया।**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून उप-आंचलिक कार्यालय ने यूके.एस.एस.एस.सी. परीक्षा पेपर लीक घोटाले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 63.30 लाख रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने पीएमएलए के तहत जांच रायपुर पुलिस स्टेशन, देहरादून द्वारा यूके.एस.एस.एस.सी. स्नातक स्तरीय (वीडीओ/वीपीडीओ) परीक्षा, 2021 के प्रश्नपत्र लीक होने के संबंध में दर्ज एफआईआर तथा वीडीओ/वीपीडीओ परीक्षा, 2016 में अनियमितताओं से संबंधित सतर्कता क्षेत्र, देहरादून द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर प्रारंभ की।

जांच में पता चला कि हाकम सिंह रावत, मेसर्स आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (परीक्षा की प्रिंटिंग एजेंसी) के कर्मचारियों, लोक सेवकों, बिचौलियों तथा सुविधाकर्ताओं से मिलकर बने एक संगठित सिंडिकेट ने बेईमानीपूर्वक गोपनीय प्रश्नपत्र लीक किए, परीक्षा प्रक्रिया में हेरफेर किया तथा उम्मीदवारों से भारी धनराशि एकत्र की। लीक किए गए प्रश्नपत्रों को पर्याप्त धनराशि के बदले बिचौलियों के नेटवर्क के माध्यम से उम्मीदवारों तक पहुंचाया गया। अपराध का आगम प्राप्त किया गया, अपने कब्जे में रखा गया तथा चल एवं अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उसका उपयोग किया गया।

पीएमएलए के तहत वित्तीय जांच से पता चला कि हाकम सिंह रावत ने अभ्यर्थियों से लगभग 95 लाख रुपये प्राप्त किए तथा यूके.एस.एस.एस.सी. परीक्षा पेपर लीक से अर्जित अवैध कमाई को वैध आय के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया। उसके बैंक खातों के विश्लेषण से उसकी घोषित आय के स्रोतों से असंगत पर्याप्त नकद जमा का पता चला। उसके आयकर रिटर्न (आईटीआर) की आगे जांच से कृषि आय का खुलासा हुआ, जो वास्तविक कृषि गतिविधि की तुलना में असंगत पाई गई तथा अस्पष्टीकृत नकद जमा को उचित ठहराने के लिए एक आवरण के रूप में प्रयुक्त की गई। जांच से स्थापित हुआ कि लीक किए गए प्रश्नपत्रों की संगठित बिक्री से उत्पन्न अपराध के आगम की नकद जमा, आईटीआर में गलत बयानी तथा कृषि आय के दावों के माध्यम से परतबंदी की गई और उसे वित्तीय प्रणाली में समाविष्ट किया गया। परीक्षा के दौरान की अवधि में हाकम सिंह रावत ने चल एवं अचल संपत्तियां अर्जित कीं, जिन्हें अब पीएमएलए, 2002 की धारा 5 के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।

पीएमएलए की धारा 50 के तहत की गई वित्तीय जांच, दर्ज किए गए बयानों, बैंक खातों के विश्लेषण तथा 14 परिसरों पर की गई तलाशी के दौरान बरामद अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, संपत्ति अभिलेख तथा घोटाले से संबंधित नकदी हाकम सिंह रावत की भूमिका को स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं। उत्तराखंड पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा दायर अनेक आरोप-पत्रों ने भी संगठित रैकेट में हाकम सिंह रावत तथा उसके सहयोगियों की भूमिका स्थापित की है।

ईडी पहले ही मेसर्स आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों, लोक सेवकों, बिचौलियों तथा सुविधाकर्ताओं सहित विभिन्न आरोपियों के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर कर चुकी है।

यूके.एस.एस.एस.सी. परीक्षा घोटाले में वर्ष 2016 तथा 2021 में आयोजित भर्ती परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर कदाचार शामिल था। उत्तराखंड पुलिस तथा सतर्कता क्षेत्र द्वारा दर्ज एफआईआर से ओएमआर शीटों में छेड़छाड़, गोपनीय प्रश्नपत्रों के लीक होने तथा अभ्यर्थियों को धोखाधड़ीपूर्वक सुविधा प्रदान किए जाने का खुलासा हुआ। इस संगठित षड्यंत्र के परिणामस्वरूप आरोपियों को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ तथा भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं अखंडता को क्षति पहुंची।

आगे की जाँच जारी है।